उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

प्रवेश समिति की प्रथम बैठक का कार्यवृत्त

बैठक	:	प्रथम
स्थान	:	विश्वविद्यालय सभागार, हल्द्वानी
दिनांक	:	30 मई, 2019
समय	:	प्रात: 10:30 बजे

प्रवेश समिति की प्रथम बैठक का कार्यवृत्त

प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव
1.1	विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु शैक्षणिक संस्थानों की उपाधियों की समकक्षता/मान्यता विषयक।
1.2	विश्वविद्यालय का शैक्षणिक सत्र 01 जुलाई से प्रारंभ करने एवं विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अवधि 01 जुलाई से 31 अगस्त तक किये जाने विषयक
1.3	परीक्षा शुल्क वापसी विषयक
1.4	प्रवेश नियमों के अन्तर्गत ऐच्छिक विषय, पाठ्यक्रम तथा माध्यम में परिवर्तन विषयक
1.5	शिक्षण/परीक्षा के माध्यम (मीडियम) में परिवर्तन संबंधी नियम को निरस्त करने विषयक
1;6	शिक्षार्थी सहायता केन्द्र परिवर्तन विषयक
1.7	प्रवेशआवेदन पत्रों के सत्यापन हेतु शिक्षकों की समिति निर्माण विषयक।
1.8	आधार संबंधी ब्यौरा न होने वाले विद्यार्थियों व विदेशी अभ्यर्थियों के प्रवेश विषयक।
1.9	विश्वविद्यालय में प्रवेश शुल्क की बची हुई राशि को वापस करने विषयक।
1.10	विश्वविद्यालय में ऑफलाइन प्रवेश हेतु बैंक चालान की अंतिम तिथि 24 अगस्त निर्धारित करने विषयक।
1.11	ऑनलाइन प्रवेश आवेदन पत्रों की प्रति शिक्षार्थी सहायता केन्द्र में जमा करने की बाध्यता समाप्त करने विषयक

01/06/19 DR. I dwivedi 1/6/2019 AMehra

प्रस्ताव संख्या 1.1 विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु शैक्षणिक संस्थानों की उपाधियों की समकक्षता/मान्यता विषयक।

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में स्वयं की विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु शैक्षणिक संस्थानों की उपाधियों की समकक्षता/मान्यता विषयक सूची निर्मित नहीं है। विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु वर्तमान में मात्र उन्हीं स्कूल बोर्डों/ विश्वविद्यालयों/ शैक्षणिक संस्थानों द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों एवं उपाधियों को मान्यता दी जाती है जिन संस्थानों की ऐसी उपाधियों को सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकण्डरी ऐजुकेशन/ विद्यालयी शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड / विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समकक्षता/मान्यता प्रदान की गयी हो।

अत: उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के प्रवेश विभाग द्वारा विद्यालयी शिक्षा परिषद,रामनगर उत्तराखण्ड / राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान/ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूचियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु समकक्षता/मान्यता प्रदान करने के लिए प्रस्ताव किया जाता है।

प्रस्ताव संख्या 1.1 पर निर्णय

- समिति ने एकमत से सहमति व्यक्त करते हुए प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

प्रस्ताव संख्या 1.2 विश्वविद्यालय का शैक्षणिक सत्र 01 जुलाई से प्रारंभ करने एवं विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अवधि 01 जुलाई से 31 अगस्त तक किये जाने विषयक

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो के निर्देशों के अनुसार सभी मुक्त विश्वविद्यालयों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश 01 जुलाई से प्रारंभ किये जाने हैं, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि भी आयोग द्वारा 31 अगस्त निर्धारित की गयी है। इसी क्रम में उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अवधि 01 जुलाई से 31 अगस्त तक किये जाने का प्रस्ताव किया जाता है।

प्रस्ताव संख्या 1.2 पर निर्णय

- समिति ने विचारोपरांत विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अवधि 01 जुलाई से 20 अगस्त तक किये जाने का अनुमोदन किया ।

प्रस्ताव संख्या 1.3 परीक्षा शुल्क वापसी विषयक

विश्वविद्यालय में प्रवेश आवेदन पत्र की प्रविष्ठि न होने पर 100 प्रतिशत शुल्क वापसी, पाठ्यक्रम न चलाये जाने पर 100 प्रतिशत शुल्क वापसी, विश्वविद्यालय द्वारा आवेदन पत्र निरस्त किए जाने पर 90 प्रतिशत शुल्क वापसी, अध्ययन सामग्री दिये जाने से पूर्व छात्र द्वारा शुल्क वापसी का अनुरोध करने पर 90 प्रतिशत शुल्क वापसी, आवेदन पत्र की प्रविष्ठि एवं अध्ययन सामग्री दिये जाने के पश्चात छात्र द्वारा शुल्क वापसी का अनुरोध करने पर शून्य प्रतिशत शुल्क वापसी का प्रावधान है, परीक्षा शुल्क किसी भी स्थिति में न तो अग्रसरित किये जाने और न वापसी का प्रावधान है।

शिक्षार्थियों द्वारा शुल्क वापसी पर यह आपत्ति लगायी जाती है कि जब वे पाठ्यक्रम में प्रवेश ही समाप्त कर शुल्क वापसी ले रहे हैं तो परीक्षा शुल्क न वापस करने का क्या औचित्य है। **अत: अन्य शुल्क वापसी के साथ ही परीक्षा शुल्क को भी जोड़कर वापसी का प्रस्ताव किया जाता है।**

प्रस्ताव संख्या 1.3 पर निर्णय –

समिति ने अनुमोदन किया कि

- **अन्य शुल्क वापसी के साथ ही परीक्षा शुल्क को भी जोड़कर वापस किया जाये।**
- **ऐसे प्रकरणों पर परीक्षा शुल्क वापसी के साथ ही विद्यार्थी का लेखा संबंधी ब्यौरा बन्द कर दिया जाये।**

पूर्व में निर्मित निम्नांकित नियम यथावत् रखने पर भी अनुमोदन दिया गया -

- *विद्यार्थी की शुल्क वापसी केवल उसी सत्र में मान्य होगी जिस सत्र में उसने प्रवेश लिया है।*
- *प्रवेश की अन्तिम तिथि के दो माह के भीतर शुल्क वापसी की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाये।*
- *किसी कार्यक्रम में प्रवेश में यदि तकनीकी कारणों से भुगतान दो बार हो जाता है तो ऐसी स्थिति में एक भुगतान वापस किया जायेगा।*
- *शुल्क वापसी के ऐसे आवेदन पत्र जिनका शुल्क भुगतान चालान द्वारा किया गया हो, यदि एस.आई.एस. में प्रविष्ठि से पहले प्राप्त हो जाते हैं तो सम्पूर्ण शुल्क की वापसी की जायेगी।*
- विश्वविद्यालय में प्रवेश आवेदन पत्र की प्रविष्ठि न होने 100 प्रतिशत शुल्क वापसी
- *विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम न चलाया जा रहा हो तो का 100 प्रतिशत शुल्क वापस किया जायेगा। ।*
- *यदि विद्यार्थी द्वारा अध्ययन सामग्री दिये जाने के पूर्व प्रवेश निरस्त हेतु अनुरोध किया गया हो तो सम्पूर्ण शुल्क का 90 प्रतिशत वापस किया जायेगा ।*

- *अध्ययन सामग्री दिये जाने के पश्चात यदि विद्यार्थी द्वारा प्रवेश निरस्त एवं शुल्क वापसी हेतु अनुरोध किया गया हो तो ऐसे आवेदन पर सम्पूर्ण शुल्क का 50 प्रतिशत वापस किया जायेगा यदि विद्यार्थी द्वारा पुस्तकें वापस कर दी गई हों।*
- *अनुचित/असत्य/अयोग्य प्रमाणपत्रों के आधार पर लिए गये प्रवेश को विश्वविद्यालय द्वारा निरस्त किये जाने पर शुल्क वापसी नहीं होगी। ।*

प्रस्ताव संख्या 1.4 प्रवेश नियमों के अन्तर्गत ऐच्छिक विषय तथा पाठ्यक्रम में परिवर्तन विषयक

वर्तमान नियम के अनुसार ऑफलाइन आवेदक विद्यार्थी अध्ययन सामग्री प्राप्त होने के 30 दिनों के अन्तर्गत रू 200/- की दर से अतिरिक्त शुल्क जमा कर ऐच्छिक विषय और रू0 500/- अतिरिक्त शुल्क जमाकर पाठ्यक्रम परिवर्तन करा सकता है। ऑनलाइन विद्यार्थी प्रवेश की तिथि से 60 दिनों के भीतर उक्त शुल्क जमा कर पाठ्यक्रम/ विषय परिवर्तन करा सकता है।

प्रवेश नियमों में ऑफलाइन और ऑनलाइन विद्याथियों के लिए निर्मित पाठ्यक्रम/ विषय परिवर्तन संबंधी नियमों में एकरूपता नहीं प्रतीत होती है। अत: ऑफलाइन और ऑनलाइन विद्याथियों के लिए ऐच्छिक विषय/ पाठ्यक्रम में परिवर्तन प्रवेश की तिथि के पश्चात 30 दिनों के भीतर करने हेतु प्रस्तावित किया जाता है।

प्रस्ताव संख्या 1.4 पर निर्णय –

समिति ने अधोलिखित बिन्दुओं का अनुमोदन किया -

- प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात वर्तमान में 30 सितम्बर तक अध्ययन केन्द्र से पाठ्यसामग्री का अदेय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर ऐच्छिक विषय/ पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जा सकेगा।
- विद्यार्थी को नये कार्यक्रम की अर्हता से संबंधित प्रपत्र प्रस्तुत करने पड़ेंगे।
- पाठ्यक्रम में परिवर्तन का प्रावधान प्रवेश-परीक्षा के द्वारा प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों पर लागू नहीं होगा।
- पाठ्यक्रम परिवर्तन की दशा में यदि नए पाठ्यक्रम / विषय का शुल्क कम है तो आधिक्य का समायोजन नहीं किया जाएगा तथा चाहे गए पाठ्यक्रम का शुल्क पूर्व के पाठ्यक्रम से अधिक है तो अतिरिक्त शुल्क विद्यार्थी द्वारा जमा किया जाएगा। दोनों ही दशा में पाठ्यक्रम परिवर्तन शुल्क अतिरिक्त देय होगा।
- पाठ्यक्रम परिवर्तन हेतु शुल्क रूपये 500.00 देय होगा ।
- विषय परिवर्तन हेतु शुल्क रूपये 200.00 देय होगा ।

01/06/19 1/6/2019 1/6/2019

प्रस्ताव संख्या 1.5 शिक्षण/परीक्षा के माध्यम (मीडियम) में परिवर्तन संबंधी नियम को निरस्त करने विषयक

प्रवेश नियमों में विद्यार्थी द्वारा रूपया 300 की दर से शुल्क जमा कर शिक्षण/परीक्षा के माध्यम(मीडियम) में परिवर्तन करा सकने का प्रावधान है।

विश्वविद्यालय की प्रवेश विवरणिका में प्रत्येक पाठ्यक्रम के समक्ष स्व-अध्ययन सामग्री का माध्यम निर्दिष्ट होता है, और यह विश्वविद्यालय में उपलब्ध पाठ्य सामग्री के आधार पर होता है। परीक्षा प्रश्नपत्र भी अंग्रेजी एवं हिन्दी में द्विभाषी बनाया जाता है तथा विद्यार्थियों को किसी भी भाषा में लिखने की स्वतंत्रता दी जाती है। कुछ विद्यार्थियों द्वारा निर्दिष्ट माध्यम से इतर अन्य माध्यम की पुस्तकों के लिए शिक्षकों से समय-समय पर मार्गदर्शन अवश्य लिया जाता है, प्रवेश विभाग के पास यह जांचने की कोई व्यवस्था नहीं है कि क्या विद्यार्थी ने अपने माध्यम से भिन्न माध्यम में परीक्षा दी है।

अत: प्रवेश नियमों में **विद्यार्थी द्वारा शिक्षण/परीक्षा के माध्यम (मीडियम) में परिवर्तन संबंधी नियम को निरस्त करने का प्रस्ताव किया जाता है।**

प्रस्ताव संख्या 1.5 पर निर्णय -

- **प्रस्ताव में शिक्षण/ परीक्षा के स्थान पर पाठ्य सामग्री कर दिया जाये और इस संशोधन के साथ प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। ।**

प्रस्ताव संख्या 1.6 शिक्षार्थी सहायता केन्द्र परिवर्तन विषयक

विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार निम्नलिखित परिस्थितियों में ही विद्यार्थियों का शिक्षार्थी सहायता केन्द्र परिवर्तित किया जा सकता है।

1. किसी अध्ययन केंद्र के स्वत: बन्द होने या विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षार्थी सहायता केन्द्र बन्द किए जाने की स्थिति में नि:शुल्क।
2. किसी विद्यार्थी के अभिभावक या स्वयं विद्यार्थी का स्थान परिवर्तन हो जाता है तो रूपया 500/- शुल्क के साथ।
3. किसी छात्रा के विवाह हो जाने की स्थिति में स्थान परिवर्तित होने पर तो रूपया 500/- शुल्क के साथ।

वर्तमान में शिक्षार्थियों के अन्य परिस्थिति में भी शिक्षार्थी सहायता केन्द्र परिवर्तन के प्रार्थना पत्र आ रहे हैं, यथा- शिक्षार्थी सहायता केन्द्र द्वारा परामर्श सत्रों का ठीक से संचालन न होना, काउंसलरों के व्यवहार में कमी

होना इत्यादि। शिक्षार्थी सहायता केन्द्र परिवर्तन के उक्त नियम 2010 में निर्मित किये गये थे, बदली हुई परिस्थिति में शिक्षार्थी को सशुल्क अध्ययन केन्द्र परिवर्तन की स्वतंत्रता दी जा सकती है। अतः **शिक्षार्थी सहायता केन्द्र परिवर्तन शिक्षार्थी के प्रवेश की तिथि के 30 दिनों के भीतर निःशुल्क करने और प्रवेश की तिथि के 60 दिनों के भीतर रूपया 500/- शुल्क के साथ और तत्पश्चात किसी भी स्थिति में सत्र पूरा होने तक परिवर्तन न करने हेतु प्रस्तावित किया जाता है।**

प्रस्ताव संख्या 1.6 पर निर्णय –

समिति द्वारा अनुमोदन किया गया कि-

- दिव्यांग विद्यार्थियों का शिक्षार्थी सहायता केन्द्र परिवर्तन निःशुल्क किया जाये।
- अन्य शिक्षार्थियों के शिक्षार्थी सहायता केन्द्र परिवर्तन शिक्षार्थी के प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात 30 दिनों के भीतर निःशुल्क किया जाये।
- निःशुल्क परिवर्तन की 30 दिनों की अवधि के पश्चात अगले 30 दिनों तक शिक्षार्थी सहायता केन्द्र परिवर्तन करने पर विद्यार्थी अध्ययन केन्द्र के माध्यम से आवेदन पत्र प्रेषित करेगा तथा अदेय प्रमाण पत्र संलग्न करेगा। रूपया 1000/- शुल्क के साथ शिक्षार्थी सहायता केन्द्र परिवर्तन किया जा सकेगा। यद्यपि ऐसे प्रकरणों पर विश्वविद्यालय विचार करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।
- तत्पश्चात सत्र पूरा होने तक शिक्षार्थी सहायता केन्द्र परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
- असाधारण परिस्थिति में किसी शिक्षार्थी सहायता केन्द्र के स्वतः बन्द होने या विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षार्थी सहायता केन्द्र बन्द किए जाने की स्थिति में शिक्षार्थी सहायता केन्द्र परिवर्तन निःशुल्क किया जाये।
- विशेष परिस्थिति में विद्यार्थी के अभिभावक या स्वयं विद्यार्थी का स्थान परिवर्तन होने पर, किसी छात्रा के विवाह हो जाने की स्थिति में कुलपति जी की विशेष अनुमति पर रूपया 1000/- शुल्क के साथ शिक्षार्थी सहायता केन्द्र परिवर्तन किया जा सकेगा।

01/06/19 1/6/2019

प्रस्ताव संख्या 1.7 प्रवेश आवेदन पत्रों के सत्यापन हेतु शिक्षकों की समिति निर्माण विषयक।

वर्तमान में विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले शिक्षार्थियों की संख्या 56 हजार को पार कर गयी है और सत्र 2019-20 में इसके 80 हजार पार करने की आशा है। प्रवेश विभाग में शिक्षार्थियों के आवेदन पत्र स्कैन कर डेटा निर्माण का कार्य चल रहा है। स्कैनिगं के समय ऐसे अनेक आवेदन पत्र दृष्टि में आ रहे हैं जिनकी डिग्री अवैध है, विभाग ऐसे शिक्षार्थियों के प्रवेश निरस्त कर रहा है। विश्वविद्यालय में वर्तमान में आवेदन पत्र के यादृच्छ सत्यापन की व्यवस्था है। प्रवेश विभाग में कार्यभार अत्यधिक है और विभाग सभी आवेदन पत्रों के सत्यापन में असमर्थ है। ऐसे में अवैध डिग्री धारकों के प्रवेश ले लेने का खतरा बना हुआ है।

अत: सभी आवेदन पत्रों के सत्यापन के लिए 3-4 शिक्षकों की एक समिति बना कर प्रवेश आवेदन पत्रों के सत्यापन का दायित्व समिति को सौंपने का प्रस्ताव किया जाता है।

प्रस्ताव संख्या 1.7 पर निर्णय –

समिति द्वारा अनुमोदन किया गया कि-

- प्रस्ताव में आवेदन पत्रों के *सत्यापन* के स्थान पर आवेदन पत्रों का *परीक्षण* लिखा जाये।
- परास्नातक स्तर पर विषय के समन्वयक अपने विषय के प्रवेश आवेदन पत्रों का परीक्षण करेंगे।
- स्नातक, डिप्लोमा, एवं प्रमाण पत्र कार्यक्रमों के प्रवेश आवेदन पत्रों के परीक्षण के लिए आवश्यकता पड़ने पर कुलपति जी द्वारा गठित समिति प्रवेश आवेदन पत्रों का परीक्षण करेगी।

प्रस्ताव संख्या 1.8 आधार संबंधी ब्यौरा न होने वाले विद्यार्थियों के प्रवेश विषयक।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ माध्यमों से शिक्षा प्राप्ति) विनियम, 2017 के अनुसार प्रत्येक दूरस्थ शिक्षा से संबंधित विश्वविद्यालय शिक्षार्थी का 'आधार' संबंधी ब्यौरा अथवा अन्य सरकारी पहचान को दर्ज करेगा।

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में पड़ौसी देश नैपाल एवं भारत के उत्तर-पूर्व के शिक्षार्थी भी प्रवेश के लिए आवेदन करते रहे हैं, उक्त विद्यार्थियों का आधार कार्ड नहीं होता है।

अत: ऐसे सभी शिक्षार्थी जिनका आधार कार्ड नहीं होता है, उन्हें अन्य सरकारी पहचान के साथ प्रवेश हेतु अनुमन्य किये जाने का प्रस्ताव किया जाता है।

प्रस्ताव संख्या 1.8 पर निर्णय –

समिति द्वारा अनुमोदन किया गया कि-

- विद्यार्थियों को प्रवेश के लिए आधार कार्ड/ पासपोर्ट/ अन्य संवैधानिक पहचान पत्र आवश्यक होगा।

प्रस्ताव संख्या 1.9 विश्वविद्यालय में प्रवेश शुल्क की बची हुई राशि को वापस करने विषयक।

विश्वविद्यालय के शुल्क वापसी के नियमों में वर्तमान में यह प्रावधान नहीं है कि किसी विद्यार्थी का कार्यक्रम पूर्ण हो जाने के उपरान्त यदि उसकी कुछ राशि अवशेष रहती है, तो उस विद्यार्थी के शेष राशि को वापस करने संबंधी प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए, उसे उक्त राशि वापस की जा सके। अत: **कार्यक्रम पूर्ण करने के उपरान्त एवं भविष्य में कोई अन्य कार्यक्रम न करने की स्थिति में विद्यार्थी की यदि कोई राशि अवशेष है तो उसे विद्यार्थी के प्रार्थना पत्र के आधार पर वापस करने का प्रस्ताव किया जाता है।**

प्रस्ताव संख्या 1.9 पर निर्णय -

समिति द्वारा अनुमोदन किया गया कि-

- कार्यक्रम पूर्ण करने के उपरान्त एवं भविष्य में कोई अन्य कार्यक्रम न करने की स्थिति में विद्यार्थी की यदि कोई राशि अवशेष है तो उसे विद्यार्थी के प्रार्थना पत्र के आधार पर वापस किया जायेगा।
- ऐसे विद्यार्थियों को उनकी अवशेष राशि कार्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात केवल एक वर्ष के भीतर ही दावा करने पर वापस की जा सकेगी।

प्रस्ताव संख्या 1.10 विश्वविद्यालय में ऑफलाइन प्रवेश हेतु बैंक चालान की अंतिम तिथि 24 अगस्त निर्धारित करने विषयक।

ऑफलाइन प्रवेश हेतु विद्यार्थी द्वारा बनाये गये चालान का डेटा बैंक द्वारा एक सप्ताह बाद विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जाता है, 31 अगस्त को प्रवेश प्रक्रिया समाप्त हो जायेगी। ऐसी परिस्थिति में 24 अगस्त के बाद बने चालानों के आधार पर प्रवेश देना कठिन हो जायेगा। यू.जी.सी. के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रवेश से संबंधित सम्पूर्ण डेटा प्रतिवर्ष 07 सितम्बर तक यू.जी.सी. की वैबसाइट में अपलोड किया जाना अनिवार्य है। अत: ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया 31 अगस्त तक जारी रहेगी और 24 अगस्त से पूर्व बने चालानों के आधार पर प्रवेश की प्रविष्टि भी 31 अगस्त तक हो सकेगी। अत: **विश्वविद्यालय में ऑफलाइन प्रवेश हेतु बैंक चालान की अंतिम तिथि 24 अगस्त निर्धारित करने का प्रस्ताव किया जाता है।**

01/06/19

1/6/2019

प्रस्ताव संख्या 1.10 पर निर्णय –

समिति द्वारा विचारोपरांत अनुमोदन किया गया कि-

- प्रवेश की अंतिम तिथि 20 अगस्त कर दी जाये।
- सत्र 2019-20 में बिना विलम्ब शुल्क के प्रवेश की अंतिम तिथि 05 अगस्त की जाये।
- विलम्ब शुल्क रूपया 250/- के साथ प्रवेश की अंतिम तिथि 20 अगस्त कर दी जाये।

प्रस्ताव संख्या 1.11 ऑनलाइन प्रवेश आवेदन पत्रों की प्रति शिक्षार्थी सहायता केन्द्र में जमा करने की बाध्यता समाप्त करने विषयक

विश्वविद्यालय के प्रवेश नियमों के अनुसार ऑनलाइन प्रवेश आवेदकों को प्रवेश लेने के पश्चात एक माह के भीतर अपने आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी अपने अध्ययन केन्द्र में जमा करनी होती है। अध्ययन केन्द्रों के साथ 27-29 मई 2019 को सम्पन्न बैठक में यह प्रस्ताव आया कि ऑनलाइन प्रवेश आवेदकों को अपने आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी जमा करना औचित्यहीन है क्योंकि ऑनलाइन आवेदन पत्र हमेशा वैबसाइट में अपलोड रहता है और अध्ययन केन्द्र जब चाहे इसे देख सकता है। पर्यावरणीय दृष्टि से भी विश्वविद्यालय सदैव पेपरलैस गवर्नेंस को महत्व देता है। अत: ऑनलाइन प्रवेश आवेदन पत्रों की प्रति शिक्षार्थी सहायता केन्द्र में जमा करने की बाध्यता समाप्त करने का प्रस्ताव किया जाता है।

प्रस्ताव संख्या 1.11 पर निर्णय –

समिति द्वारा अनुमोदन किया गया कि-

- ऑनलाइन प्रवेश में विद्यार्थी को मूल प्रमाण पत्रों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी।
- ऑनलाइन प्रवेश आवेदन पत्रों की प्रति शिक्षार्थी सहायता केन्द्र में जमा करने की बाध्यता समाप्त होगी।